पुस्तकालय सह करियर विकास केन्द्र खुलेंगे

छात्रों की समस्या दूर करने के लिए बहाल होंगी विद्या दीदी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

गांवों के छात्र-छात्राओं और युवाओं की समस्या दूर करने के लिए पंचायत स्तर तक विद्या दीदी (लाइब्रेरियन दीदी) बहाल होंगी। इसके लिये संकुल (पंचायत) स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केन्द्र खोले जाएंगे। फिलहाल 32 जिलों के 100 प्रखंडों में संकुल संघ स्तर पर ये विकास केन्द्र खोले जाएंगे। ये दीदियां छात्रवृत्ति, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बैंक और एनजीओ (स्वयं सहायता समूहों) से जरूरतमंदों को लोन दिलाने में सहायता करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में 15452 करोड़ के ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान की मांगों पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए ये घोषणा की। मंत्री ने कहा कि विद्या दीदी छात्र-छात्राओं के ड्रॉप आउट को रोकेंगी।

विद्या दीदी की बहाली की योग्यता व मानदेय

- न्यूनतम योग्यता: 12वीं उत्तीर्ण
- उम्र सीमा: 18 से 40 वर्ष
- संबंधित प्रखंड के ही किसी पंचायत की निवासी
- जीविका की सदस्य या जीविका समूह से जुड़ी सदस्य के परिवार वाली
- हर माह 6000 रुपए मानदेय